

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(17)राज/वाद/14पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 04.07.2018

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (8) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15,16 एवं 17 के अनुसरण में तथा स्वापक औषधि मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 30 (सी) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जाकिर हुसैन, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/404/98) को विशिष्ट न्यायालय ( एनडीपीएस एक्ट मामलात ) हनुमानगढ़ में राज्य पक्ष की ओर से आपराधिक प्रकरणों की पैरवी व अभियोजन पक्ष का संचालन करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट), हनुमानगढ़ के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष (दिनांक 03.07.19 तक) या अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो तक, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

हो.

(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशेषाधिकारी (एस) मुख्यमंत्री महोदया।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव विधि।
4. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
6. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़।
8. विशिष्ट न्यायाधीश(एनडीपीएस एक्ट) हनुमानगढ़।
9. जिला कलक्टर, हनुमानगढ़।
10. कोषाधिकारी, हनुमानगढ़।
11. संबंधित अभिभाषक।
12. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
13. सहायक लेखाधिकारी, वादकरण।
14. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

  
(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि